संख्या: 29/2018/414/छप्पन-2018-81/2013टी0सी0

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 22 मार्च, 2018

विषय: जनपद इलाहाबाद स्थित एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण हेतु क्रय की जा रही भूमि पर आने वाले विद्युत पोल तथा बी0एस0एन0एल0 के केबिल एवं खम्भों (टावर) को हटाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 923/ए.एफ.-108-12/2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद इलाहाबाद स्थित एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण हेतु क्रय की जा रही भूमि पर आने वाले विद्युत पोल तथा बी0एस0एन0एल0 के केबिल एवं खम्भों (टावर) को हटाए जाने हेतु जिलाधिकारी, इलाहाबाद के प्रस्तावानुसार रूपए 3,47,32,014/- (रूपए तीन करोड़ सैंतालिस लाख बत्तीस हजार चौदह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद इलाहाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव की स्थापना हेतु चिन्हित कुल भूमि 30.3910 हैक्टेयर भूमि के लिए रूपए 289.00 करोड़ की धनराशि पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी है। सम्प्रति सिविल ऐन्क्लेव के लिए क्रय की जा रही भूमि पर आने वाले विद्युत पोल तथा बी0एस0एन0एल0 के केबिल एवं खम्भों (टावर) को हटाए जाने के लिए जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2018 के अनुसार उक्त कार्य हेतु ऑकलित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

विद्युत पोल हटाना एवं नए पोल लगाया जाना।	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, इलाहाबाद	आगणन रू0 2,80,27,499.00

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, इलाहाबाद	आगणन रू0 43,60,566.00
बी0एस0एन0एल0 के केबिल खम्भों (टावर) को हटाया जाना।	भारत संचार निगम लि0, कार्यालय महाप्रबन्धक दूरसंचार, इलाहाबाद	आगणन रू0 23,43,949.00
	कुल धनराशि	**रू0 3,47,32,014.00**

3- अतः उपर्युक्तानुसार जनपद इलाहाबाद स्थित एयरपोर्ट सिविल ऐन्क्लेव की स्थापना के लिए क्रय की जा रही भूमि पर आने वाले विद्युल पोल तथा बी0एस0एन0एल0 के केबिल एवं खम्भों (टावर) को हटाए जाने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार ऑकलित की गई कुल धनराशि रूपए 3,47,32,014/- (रूपए तीन करोड़ सैंतालिस लाख बत्तीस हजार चौदह मात्र) पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में रूपए 3,47,32,014/- (रूपए तीन करोड़ सैंतालिस लाख बत्तीस हजार चौदह मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रूपए 3,47,32,014/- (रूपए तीन करोड़ सैंतालिस लाख बत्तीस हजार चौदह मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, इलाहाबाद के निर्वतन पर रखा जायेगा, ताकि जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा समयबद्ध रूप से परियोजना को पूर्ण कराया जा सके।

3/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-269/दस-2018, दिनांक 22 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्याः 29/2018/414(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, 12वां तल शक्ति भवन, लखनऊ।
(5) आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
(6) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/इलाहाबाद।
(8) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, इलाहाबाद।
(9) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(11) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in